

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 1999 (चैत्र 2, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें -

- (क) क्रमांक एफ 1-11-98-बाईस-पं-2, दिनांक 23 दिसम्बर, 1998,
 - (ख) क्रमांक एफ 1-21-98-बाईस-पं-2, दिनांक 4 जनवरी, 1999,
 - (ग) क्रमांक एफ 1-6-ए-98-बाईस-पं-2, दिनांक 4 जनवरी, 1999,
 - (घ) क्रमांक एफ 1-29-98-बाईस-पं-2, दिनांक 4 जनवरी, 1999,
 - (ङ.) क्रमांक एफ 1-16-98-बाईस-पं-2, दिनांक 4 जनवरी, 1999,
 - (च) क्रमांक एफ 1-20-98-बाईस-पं-2, दिनांक 4 जनवरी, 1999,
 - (छ) क्रमांक एफ 1-18-98-बाईस-पं-2, दिनांक 4 जनवरी, 1999,
 - (ज) क्रमांक एफ 1-26-98-बाईस-पं-2, दिनांक 11 जनवरी, 1999,
 - (झ) क्रमांक एफ 1-5-ए-98-बाईस-पं-2, दिनांक 11 जनवरी, 1999,
 - (ञ) क्रमांक बी-1-43-95-बाईस-पं-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
 - (ट) क्रमांक बी-1-39-95-बाईस-पं-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
 - (ठ) क्रमांक बी-1-21-(1) (95)-बाईस-पं-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
 - (ड) क्रमांक बी-1-41-95-बाईस-पं-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
 - (द) क्रमांक बी-1-40-95-बाईस-पं-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
 - (ण) क्रमांक बी-1-11-95-बाईस-पं-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
 - (त) क्रमांक बी-1-44-95-बाईस-पं-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
 - (थ) क्रमांक बी-1-20-95-बाईस-पं-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
 - (द) क्रमांक एफ-1-40-95-बाईस-पं-2, दिनांक 17 फरवरी, 1999,
 - (ध) क्रमांक एफ 1-40-95-बाईस-पं-2, दिनांक 5 मार्च, 1999,
 - (न) क्रमांक एफ-1-44-95-बाईस-पं-2, दिनांक 5 मार्च, 1999,
 - (प) क्रमांक एफ-1-33-98-बाईस-पं-2, दिनांक 17 फरवरी, 1999,
 - (फ) क्रमांक एफ-1-40-95-बाईस-पं-2, शुद्धि पत्र दिनांक 11 मार्च, 1999,
 - (ब) क्रमांक एफ-1-44-95-बाईस-पं-2, शुद्धि पत्र दिनांक 11 मार्च, 1999,
 - (भ) क्रमांक एफ-1-32-98-बाईस-पं-2, दिनांक 30 जनवरी, 1999, तथा
 - (म) क्रमांक एफ-1-27-98-बाईस-पं-2, दिनांक 28 जनवरी, 1999,
- पटल पर रखेंगे.

(2) श्री धनेश पटिला, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री महेन्द्र बौद्ध, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, बृजमोहन अग्रवाल, विधान मिश्रा, सदस्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पदस्थ रहे जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को लम्बे समय से निलम्बित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री स्वामी प्रसाद लोधी, रामकपाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले के अनेक ग्रामों में डकैतों का आतंक होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सईद अहमद, सदस्य, सतना जिले के मैहर स्थित मां शारदा पहाड़ी का कटाव होने की ओर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र भारती (वतिया), सदस्य, ग्वालियर शूगर फैक्टरी द्वारा कृषकों को गन्ने का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

